क्रम-संख्या—255

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 19, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1733/सत्रह-वि-1–1 (क)-18-2002

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) यह 4 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में हो और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए० बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 29 की उपधारा (2) में यह व्यवस्था थी कि सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ऐसी प्रबन्ध समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने के लिए विभिन्न स्तरों से की जा रही मांग पर विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि ऐसी प्रबन्ध समिति का कार्यकाल बढ़ाकर पांच वर्ष करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1733(2)/XVII-V-1-1(KA)-18-2002

Dated Lucknow, September 10, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 2002.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2002

(U. P. ACT NO. 12 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2002. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 4, 2002.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely:–

"(2) *(a)* The term of every Committee of Management shall be five years and the term of the elected members of the committee of Management shall be co-terminus with the term of such Committee.

(b) The provisions of clause *(a)* shall apply also to a Committee of Management in existence on the date of the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2002 and the elected members of such Committee."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 10 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A. B. SHUKLA
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (2) of section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 (U. P. Act no. 11 of 1966) provided for the term of the Managing Committee of a Co-operative Society to be three years. After considering the demands from various quarters for raising the term of such Managing Committee, it was decided to amend the said Act to raise the term of such a Managing Committee to five years.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2002 (U. P. Ordinance no. 10 of 2002) was promulgated by the Governor on July 4, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 557 सा० विधायी–(1304)–2002–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 166 सा० विधायी–(1305)–2002–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।